

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
॥ संकल्प ॥

- 5651  
01/09/17

**विषय:** गढ़वा नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना को लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 10524.69 लाख (एक सौ पांच करोड़ चौबीस लाख उनहतर हजार) एवं SBM के केंद्र मद से कुल राशि ₹ 401.59 लाख (चार करोड़ एक लाख उनसठ हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 3042.68 लाख (तीस करोड़ बयालीस लाख सडसठ हजार) अर्थात कुल राशि ₹ 3444.27 लाख (चौतीस करोड़ चौवालिस लाख सत्ताईस हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

- 74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है।
2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
  3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी SWM Rule 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
  4. OSP प्रक्षेत्र, गढ़वा नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है। इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा प्रथम चरण की निविदा EPC Mode पर एवं दूसरे चरण की निविदा को लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है। इस योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका - 1 में दर्ज है।
  5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
  6. निकाय के पास 10 एकड़ भूमि चिन्हित है जो हस्तांतरण हेतु प्रक्रियाधीन है उक्त भूमि योजना हेतु पर्याप्त है।
  7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात ₹ 307.31 लाख का व्यय किया जायेगा।
  8. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन मद से किया जायेगा।
  9. केन्द्रांश से कुल राशि ₹ 401.59 लाख SBM योजना मद से दिया जाना है। जिसमें CAPEX मद में @ 35%, DPR बनाने हेतु @ ₹ 12 प्रति व्यक्ति एवं OPEX मद @ 20% Mission Period, 2 Oct. 2019 तक दिया जाना है।
  10. SBM के राज्य योजना मद से कुल राशि ₹. 3040.82 लाख दिया जाना है।
  11. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किये जाने का प्रस्ताव है।

तालिका - 1

Garhwa Solid Waste Management - Fund Flow		
S. No.	Particular	Amount in ₹ Lakh
1	Total Project Cost (=1.1+1.2+1.3)	10524.69
1.1	Capital Cost (CAPEX)	1024.36
1.2	O & M Cost for 20 Yrs.	9367.15
1.3	Other Expenses (=1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	133.18
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	15.37
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	15.37
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	102.44
2	Total Income (=2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	6773.11
2.1	by User Charges in O&M	4490.98
2.2	by Sale of Compost in O&M	1554.35
2.3	by Sale of Recyclable in O&M	710.61
2.4	by Scrap Sale in O&M	17.17
3	Central Share (=3.1+3.2+3.3)	401.59
3.1	Central Share for DPR preparation @ ₹ 12 per capita	5.52
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	358.53
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (= 1.5yrs.)	37.54
4	Investment of PPP Operator	307.31
	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	307.31
5	Total Grant Required from State (= 5.1+5.2+5.3)	3042.68
5.1	In CAPEX	358.53
5.2	In O&M in 20 years	2556.50
5.3	In Other	127.66

5651  
01/09/17

तालिका - 2

S. No.	Particulars	Amount in ₹ Lakhs
1.0	Total Project Cost	10524.69
2.0	Income from project	6773.11
3.0	Central Government Share	401.59
4.0	Fund from PP partner	307.31
5.0	Total State Government Share	3042.68

Naw

X

12. योजना की निविदा प्रक्रिया, दो अलग - अलग चरणों द्वारा पूर्ण की जाएगी :


क. प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and transportation हेतु सयंत्र एवं वाहनों का क्रय Item rate basis पर किया जायेगा, जिस पर कुल व्यय ₹ 172.33 लाख होगी ।

ख. दूसरी निविदा के तहत PPP Mode पर आमंत्रित किया जाना है जिसके तहत processing plant तथा landfill site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा । निविदा में Capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा ।

13. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में गढ़वा नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना को लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 10524.69 लाख (एक सौ पांच करोड़ चौबीस लाख उनहत्तर हजार) एवं SBM के केंद्र मद से कुल राशि ₹ 401.59 लाख (चार करोड़ एक लाख उनसठ हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि 3042.68 लाख (तीस करोड़ बयालीस लाख सडसठ हजार) अर्थात् कुल राशि ₹ 3444.27 लाख (चौतीस करोड़ चौवालिस लाख सताईस हजार) का अनुदान देने एवं कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है ।

14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.08.17 को मद संख्या - 14 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

  
(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव ।

जापांक- SUDA/SBM/SWM/29 - 2015..... 5651

रांची, दिनांक-..... 01/09/17

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरंडा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की एक सौ प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराई जाये ।

  
सरकार के प्रधान सचिव ।

जापांक- SUDA/SBM/SWM/29 - 2015..... 5651

रांची, दिनांक-..... 01/09/17

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री / प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ PD (Technical), JUIDCO/ संबंधित आयुक्त/उपायुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर पंचायत/ / बजट शाखा / नोडल पदाधिकारी e - गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के प्रधान सचिव ।

Naw

